

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]	दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017/आषाढ़ 2, 1939	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 120
No. 234]	DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2017/ASHADHA 2, 1939	[N.C.T.D. No. 120

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 जून, 2017

फा. सं. 3(10)/वित्त (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/340.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उन व्यक्तियों को, जो केवल कराधेय माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने में लगे हैं, जिन पर कुल कर, ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिशत प्रभार के आधार पर संदत्त किए जाने का दायी है, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त है।

2. यह अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. के. गुप्ता, उप-सचिव-VI (वित्त)

**FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Delhi, the 22nd June, 2017

**F. No. 3(10)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/340.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby specifies the persons who are only engaged in making supplies of taxable goods or services or both, the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both under sub-section (3) of section 9 of the said Act as the category of persons exempted from obtaining registration under the aforesaid Act.

2. This notification shall come into force on the date of its issuance.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
S. K. GUPTA, Dy. Secy.-VI (Finance)